(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1678-पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-3-15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत 3 गुना प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2014-15.

सेकेट्री बोहरा समाज गुना वास्ते इफतेखार हुसैन
पुत्र स्व. श्री जुलफखार हुसैन
निवासी बोहरा मस्जिद के सामने गुना
जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, गुना जिला गुना
2. अरविंद सिंह पुत्र कृपाल सिंह सिख
   निवासी मार्डन टाउन वन्दना कॉन्वेट
   स्कूल के पीछे गुना जिला गुना
3. शैलेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र रघुनाथ सिंह राजपूत
   निवासी बाहुबली पुरम कुशमौदा
   चौकी के सामने गुना जिला गुना
4. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 व 3
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत 3 गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुना द्वारा साईकिल फैक्ट्री ए.बी. रोड कस्तूरी गार्डन के

सामने, जिस पर पूर्व में नगर पालिका नाका स्थित था, का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार, गुना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत 3 गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2014-15 पंजीबद्ध कर, दिनांक 26-3-15 को आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के विपरीत है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो आवेदक को पक्षकार बनाया गया है और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है और प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1007 रकबा लगभग 3431 वर्गफीट तथा पूर्व का पक्का रास्ता अनावेदक की भूमि में नाप दिया गया है, जिससे कब्रिस्तान का रास्ता अवरूद्ध हो गया है, जबकि मौके पर सर्वे क्रमांक 1006 की कोई भूमि नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक के पीठ पीछे सीमांकन किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का हित निहित है, इसलिए आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की विधिवत सूचना दी जाकर, उसकी उपस्थिति में सीमांकन करना चाहिए था । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 124 में स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है । अतः राजस्व निरीक्षक को कब्रिस्तान की भूमि से लगा हुआ लगभग 100 वर्ष पुराना कुंआ है, जिसका राजस्व अभिलेख में इंद्राज है एवं ए.बी. रोड भी 100 वर्ष से अधिक पुराना है, उक्त स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया जाना चाहिए था, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा ऐसा नहीं कर, एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अस्थायी सीमा चिन्ह कायम कर मनमाने तौर पर किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा दिनांक 6-12-2018 को निगरानी निरस्त किए जाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसका स्पष्ट जवाब आवेदक द्वारा दिनांक 9-1-2019 को प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख पर है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-13 निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी किये गये

हैं। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सहायक कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, टाउन इंस्पेक्टर तथा संबंधित पक्ष की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की नहीं है, किन्तु उनके द्वारा निगरानी में स्वयं को भूमिस्वामी दर्शाने का प्रसास किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है, इसलिए शासन आवश्यक पक्षकार है, किन्तु आवेदक द्वारा निगरानी में शासन को पक्षकार नहीं बनाया । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन किस प्रकार अवैध, अनुचित व विधि विपरीत है, इस संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पंचनामा दिनांक 26-3-15 से स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन की विधिवत सूचना दी गई है और वह सीमांकन के समय उपस्थित था एवं सीमांकन पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । अभिलेख से स्पष्ट है कि कब्रिस्तान का कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं हुआ है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर राजस्व निरीक्षक का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के विद्वान मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्समय कब्रिस्तान के सेकेट्री हकीम भाई सेफी को नोटिस दिया गया था और फील्डबुक एवं पंचनामा उनके सामने तैयार की गई थी एवं पंचनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 1006 व 1007 पर आवेदक का कोई हित नहीं है, इसलिए उनको पक्षकार बनाये जाने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा केवल 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि कब्रिस्तान के लिए सशर्त दी गई थी और उससे अधिक भूमि पाने का कोई अधिकार आवेदक को नहीं है, किन्तु आवेदक द्वारा 6 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण किया गया है, जो कि सर्वे क्रमांक 1006 व 1008 का भाग है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्ह रेलवे लाईन को आधार बनाकर विधिवत सीमांकन किया गया है और जो 100 वर्ष पुराना कुंआ था, जिसे आवेदक द्वारा पूर दिया गया है और एक नया कुंआ ए.बी. रोड के पास बताया गया है और उक्त स्थान को जो कि सर्वे क्रमांक 1006 का भाग है, जिसे विनीत सेठ को किराये पर दिया गया है । आवेदक की कोई भूमि अनावेदकगण को नहीं दी गई है, आवेदक द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ अनावेदक क्रमांक 4 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को विधिवत सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा

अनियमितता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है, जिस पर आवेदक का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश यथावत रखने का निवेदन किया गया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बोहरा समाज के सेकेट्री हकीम भाई सेफी सहित समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी गई जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया एवं पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं, अतः इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक बोहरा समाज के सेकेट्री द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि वे सीमांकन कार्यवाही से सहमत हैं । अतः आवेदक का यह तर्क निराधार है कि उसे सीमांकन में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । आवेदक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन कार्यवाही से कब्रिस्तान का रास्ता अवरूद्ध हो गया है, क्योंकि अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा सूची दस्तावेज के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि जिस समय कलेक्टर द्वारा कब्रिस्तान के लिए भूमि सुरक्षित की गई थी, उस समय ए.बी. रोड से कब्रिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं था । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः वैधानिक एवं उचित हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत 3 गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर